उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक:– 15.11.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं के सशक्तिकरण, सुरक्षा एवं साइबर जागरूकता हेतु महोबा पुलिस द्वारा व्यापक जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित...

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक- 15.11.2025 को जनपद महोबा के समस्त थानों की मिशन शक्ति टीमों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण एवं साइबर अपराधों की रोकथाम के उद्देश्य से विशेष जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

इस दौरान थानों की पुलिस टीम द्वारा महिलाओं व बालिकाओं को महिला संबंधी अपराधों, उनकी रोकथाम, तथा शिकायतों के निस्तारण हेतु उपलब्ध सुविधाओं व हेल्पलाइन नंबरों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई, जिसमें वूमेन पॉवर लाइन– 1090, पुलिस आपातकालीन सेवा– 112, एम्बुलेंस– 108, चाइल्ड लाइन– 1098, स्वास्थ्य सेवा– 102, महिला हेल्पलाइन– 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन– 1076, साइबर हेल्पलाइन– 1930 साथ ही उन्हें गुड टच-बैड टच, घरेलू हिंसा, साइबर अपराध, महिला सुरक्षा से जुड़े कानूनों की जानकारी दी गई एवं शासन द्वारा संचालित महिला कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में पम्पलेट वितरित किए गए। साथ ही थानों में नवस्थापित मिशन शक्ति केन्द्रों की भूमिका व उनके माध्यम से महिलाओं को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं की जानकारी भी साझा की गई।

उद्देश्य - महोबा पुलिस द्वारा मिशन शक्ति अभियान 5.0 के अंतर्गत चलाए जा रहे ये जन-जागरूकता कार्यक्रम न केवल महिलाओं एवं बालिकाओं को स्वावलंबी, सजग और सुरक्षित बनने का संदेश दे रहे हैं, बल्कि समाज में नारी सम्मान एवं सुरक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने की दिशा में एक सार्थक कदम हैं।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक:– 15.11.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

जनपद महोबा की एसओजी एवं थाना पनवाड़ी की पुलिस टीम ने चोरी की घटना कारित कर रहे 03 नफर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, कब्जे से सफेद/पीली धातु के आभूषण सहित 02 अवैध तमंचा एवं 03 जिन्दा कारतूस बरामद-

जनपद महोबा के थाना पनवाड़ी क्षेत्रांतर्गत भरवारा स्थित *अमित ज्वेलर्स* में दिनांक 13/14.11.2025 की रात्रि में चोरी का प्रयास स्थानीय निवासियों की सतर्कता के कारण विफल हो गया। ग्रामीणों ने संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए सतर्कता बरतते हुए दुकान में चोरी के इरादे से घुसे दो अभियुक्तों को मौके पर ही पकड़कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। घटना की सूचना प्राप्त होते ही क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री रविकांत गोंड ने दिनांक 14.11.2025 को मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का निरीक्षण किया तथा वादी व स्थानीय नागरिकों से पूरी घटना के संबंध में पूछताछ की।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह ने घटना को गंभीरता से लेते हुए तत्काल संज्ञान लिया। उनके निर्देशानुसार अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह एवं क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री रविकांत गोंड के निकट पर्यवेक्षण में घटना में संलिप्त अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी हेतु प्र0नि0 पनवाड़ी श्री अर्जुन सिंह एवं जनपदीय एसओजी प्रभारी श्री शिवप्रताप सिंह के नेतृत्व में विशेष पुलिस टीमें गठित की गईं।

गठित टीमों ने सतत प्रयास करते हुए घटना में संलिप्त तीसरे अभियुक्त दीपक अनुरागी पुत्र भगवानदास अनुरागी (उम्र 24 वर्ष), निवासी मु. खुशीपुरा, कस्बा व थाना राठ, जनपद हमीरपुर, को संबंधित मु0अ0सं0 241/2025, धारा 331(4)/305A/317(2) बीएनएस व 3/25 ए एक्ट में दिनांक 14.11.2025 को थानाक्षेत्र के हरपालपुर तिराहा, पनवाड़ी से गिरफ्तार कर लिया।

पूर्व में गिरफ्तार अभियुक्तगण:

1. दीपक उर्फ बन्टा पुत्र मनमोहन श्रीवास, उम्र 20 वर्ष, निवासी ग्राम परा, थाना राठ हमीरपुर।
2. शिवम पुत्र गुलाब राजपूत, उम्र 20 वर्ष, निवासी ग्राम गुटकवारा, थाना जरिया, जनपद हमीरपुर।

बरामदगी:

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से—

- चाँदी (सफेद धातु) के विभिन्न जेवरात: *कुल वजन लगभग 1852 ग्राम*
- रोल्ड गोल्ड के विभिन्न जेवरात: *कुल वजन लगभग 520 ग्राम*
- नगद ₹1280 (जिसमें से ₹1000 थाना महोबकण्ठ में हुई पूर्व चोरी के)
- 02 अदद तमंचा 12 बोर,
- 03 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर,

अभियुक्तगण के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई कर न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली संयुक्त पुलिस टीम-

थाना पनवाड़ी पुलिस टीम-

1. प्र0नि0 पनवाड़ी श्री अर्जुन सिंह
2. उ0नि0 पवन गौड़ 3. उ0नि0 हार्दिक सिंह 4. आरक्षी रामकुमार तिवारी

जनपदीय एसओजी टीम-

1. उ0नि0 श्री शिवप्रताप सिंह प्रभारी एसओजी टीम महोबा
2. उ0नि0 विवेक यादव 3.कां0 दीपक वर्मा 6.कां0 अभिषेक दुबे 7.सत्यम सिंह जादौन

महोबा पुलिस

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. दीपक उर्फ बन्टा पुत्र मनमोहन श्रीवास उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम परा थाना राठ जनपद हमीरपुर
2. शिवम पुत्र गुलाब राजपूत उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम गुटकवारा थाना जरिया जिला हमीरपुर
3. दीपक अनुरागी पुत्र भगवानदास अनुरागी उम्र करीब 24 वर्ष निवासी मु0 खुशीपुरा कस्बा व थाना राठ जनपद हमीरपुर

बरामदगी विवरण-

1. अभियुक्त दीपक उर्फ बन्टा उपरोक्त के कब्जे से चोरी किये गये जेबरात व 01 अदद तमंचा मय 01 अदद जिन्दा कारतूस नाजायज व 500 रुपये (थाना महोबकण्ठ की चोरी के) बरामद ।

2. अभियुक्त शिवम राजपूत उपरोक्त के कब्जे से चोरी किये गये जेबरात व 01 अदद जिन्दा कारतूस नाजायज व 500 रुपये (थाना महोबकण्ठ की चोरी के) बरामद।

3. अभियुक्तगण शिवम, दीपक उर्फ बन्टा व दीपक अनुरागी के कब्जे से चाँदी (सफेद धातु) निर्मित जेवरात भिन्न भिन्न नग कुल वजन लगभग 1852 ग्राम व रोल्ड गोल्ड के भिन्न भिन्न नग कुल वजन लगभग 520 ग्राम तथा नगद 1280 रु0 (जिसमें 1000 रुपये महोबकण्ठ की चोरी के) व 01 अदद तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद ।

"क्षेत्राधिकारी रविकांत गोंड द्वारा साइबर थाना महोबा का आकस्मिक निरीक्षण, साइबर अपराध नियंत्रण हेतु दिए आवश्यक निर्देश"

आज दिनांक 15.11.2025 को क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़/साइबर थाना श्री रविकांत गोंड द्वारा जनपद महोबा के पुलिस लाइन में अवस्थित साइबर थाना का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने साइबर अपराधों के प्रभावी नियंत्रण एवं पीड़ितों की त्वरित सहायता हेतु कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से समीक्षा की।

निरीक्षण के दौरान NCRP पोर्टल, विभिन्न अपराध/शिकायत रजिस्टर, मोबाइल एवं IMEI ब्लॉकिंग रजिस्टर तथा संबंधित थानों को प्रेषित शिकायतों का गहन अवलोकन किया। उन्होंने लंबित मामलों में त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

साइबर फ्रॉड के मामलों में पीड़ितों की धनराशि सुरक्षित रखने को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए क्षेत्राधिकारी द्वारा संबंधित को निर्देशित किया गया कि—

अधिक से अधिक धनराशि होल्ड कराकर पीड़ितों को वापस दिलाने की प्रक्रिया को और तेज़ व प्रभावी बनाया जाए। धनराशि वापसी की दर को 40% से अधिक करने हेतु ठोस रणनीति के साथ काम किया जाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने आपराधिक घटनाओं में प्रयुक्त यूज़ मोबाइल नंबरों एवं IMEI नंबरों का समयबद्ध सत्यापन कर उन्हें आवश्यकतानुसार ब्लॉक किए जाने के निर्देश भी प्रदान किए।

क्षेत्राधिकारी ने सभी थानों में गठित साइबर सेल के साथ सुदृढ़ समन्वय स्थापित करने पर बल देते हुए कहा कि साइबर अपराधों से निपटने के लिए त्वरित सूचना आदान-प्रदान एवं टीमवर्क अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने साइबर थाना टीम को निर्देशित किया कि आधुनिक तकनीक का अधिकतम उपयोग कर साइबर अपराधियों पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

महोबा पुलिस साइबर अपराधों के रोकथाम और पीड़ित हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांकः– 15.11.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

"यातायात माह नवंबर में महोबा पुलिस की पहल, जन-जन को जागरूक बनाने हेतु विशेष अभियान, वाहनों पर स्टीकर व रेट्रो रिफ्लेक्टर टेप चस्पा"

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद में यातायात माह (नवंबर) के अवसर पर सड़क सुरक्षा व यातायात नियमों के प्रति जनमानस को जागरूक करने हेतु व्यापक अभियान संचालित किया जा रहा है।

इसी क्रम में आज दिनांक- 15.11.2025 को थाना कुलपहाड़ क्षेत्र के गोंदी चौराहा पर जनपदीय यातायात प्रभारी श्री सुनील कुमार सिंह द्वारा थाना कुलपहाड़ प्रभारी निरीक्षक श्री राधेश्याम वर्मा मय थाना कुलपहाड़ पुलिस एवं यातायात पुलिस टीम के साथ संयुक्त रूप से विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

इस अभियान के दौरान चार पहिया, तीन पहिया एवं दोपहिया वाहनों पर यातायात जागरूकता स्टीकर चस्पा किए गए। स्कूली छात्र-छात्राओं को यातायात जागरूकता पंपलेट वितरित कर सुरक्षित सड़क उपयोग के प्रति प्रेरित किया गया। ट्रैक्टर–ट्रॉली पर रेट्रो रिफ्लेक्टर टेप चिपकाए गए, जिससे रात्रि के अंधेरे में वाहनों की दृश्यता बढ़े और सड़क दुर्घटनाओं में प्रभावी कमी लाई जा सके।

महोबा पुलिस द्वारा किया जा रहा यह प्रयास जनपद में सुरक्षित एवं व्यवस्थित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पुलिस प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन करते हुए स्वयं सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रहने हेतु प्रेरित करें।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांकः– 15.11.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

“महोबा पुलिस का साइबर हेल्प डेस्क बना गुम हुए मोबाइल की त्वरित बरामदगी का भरोसेमंद माध्यम”

“महोबा पुलिस की साइबर हेल्प डेस्क निरंतर सक्रिय”

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के कुशल निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह तथा क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरुण कुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में जनपद स्तर पर गठित साइबर हेल्प डेस्क द्वारा निरंतर प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

इसी क्रम में आज दिनांक- 15.11.2025 को साइबर हेल्प डेस्क थाना कोतवाली नगर की टीम द्वारा शिकायतकर्ता शिव सिंह पुत्र रघुनंदन नि महोबा का सैमसंग का मोबाइल फोन, जो कही गुम हो गया था, सरकार द्वारा जारी किये गये पोर्टल ceir.gov.in से बरामद कर आज सकुशल उन्हें सुपुर्द किया गया, इस अवसर पर पीड़ित द्वारा महोबा पुलिस का आभार व्यक्त किया गया।

साइबर हेल्पडेस्क टीम-

1. म0उ0नि0 शिवांगी प्रजापति थाना कोतवाली नगरजनपद महोबा
2. कम्प्यूटर आपरेटर शिव रावत

अपील- यदि किसी नागरिक का मोबाइल गुम या चोरी हो जाता है, तो वह ceir.gov.in पोर्टल के माध्यम से अपने मोबाइल को तुरंत ब्लॉक करा सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति साइबर धोखाधड़ी का शिकार होता है तो वह तत्काल 1930 टोल-फ्री नंबर पर कॉल करें, साइबर हेल्प डेस्क अथवा cybercrime.gov.in पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें। किसी भी अज्ञात लिंक पर क्लिक न करें, न ही अपनी व्यक्तिगत या बैंक संबंधी जानकारी किसी अजनबी से साझा करें।

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक:– 15.11.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना पनवाड़ी पुलिस टीम ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फर्जीवाड़ा करने वाले 02 वांछित अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में, जनपद में अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 15.11.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह एवं क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री रविकांत गोंड के निकट पर्यवेक्षण में थाना पनवाड़ी प्रभारी निरीक्षक श्री अर्जुन सिंह द्वारा गठित की गयी अपराध निरीक्षक श्री उपेन्द्र नाथ राय के नेतृत्व में पुलिस टीम ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित फर्जीवाड़े के मामले में थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 200/2025 धारा 318(4)/338/336(3) बीएनएस से संबंधित वाँछित 02 नफर अभियुक्तगण 1.लवकेश सिंह पुत्र पन्नालाल उम्र करीब 30 वर्ष निवासी बुडेरा थाना पनवाड़ी जनपद महोबा व 2. ब्रजेन्द्र कुमार पुत्र मातादीन उम्र करीब 30 वर्ष निवासी पलका थाना कोतवाली महोबा जनपद महोबा को थानाक्षेत्र के राठ तिराहे से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। उपरोक्त अभियुक्तगण द्वारा एक योजना के तहत अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर सरकारी लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री फसल बीमा पोर्टल पर कूटरचित दस्तावेज लगाकर अनुचित बीमा कराया गया था। अभियुक्तगण के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. निरीक्षक श्री उपेन्द्र नाथ राय
2. आरक्षी राममिलन
3. आरक्षी उमेशचन्द्र

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. लवकेश सिंह पुत्र पन्नालाल उम्र करीब 30 वर्ष निवासी बुडेरा थाना पनवाड़ी महोबा
2. ब्रजेन्द्र कुमार पुत्र मातादीन उम्र करीब 30 वर्ष निवासी पलका थाना कोतवाली महोबा

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांकः– 15.11.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

“क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ द्वारा अभिसूचना इकाई, मॉनिटरिंग सेल एवं महिला सहायता प्रकोष्ठ का औचक निरीक्षण, दिए गए आवश्यक निर्देश”

आज दिनांक 15.11.2025 को क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री रविकांत गोंड द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अवस्थित स्थानीय अभिसूचना इकाई, मॉनिटरिंग सेल एवं महिला सहायता प्रकोष्ठ का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं की गहन समीक्षा करते हुए संबंधित कर्मियों को कार्यों में और अधिक दक्षता, पारदर्शिता एवं तत्परता लाने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

स्थानीय अभिसूचना इकाई- क्षेत्राधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि महत्वपूर्ण घटनाओं, त्यौहारों, कार्यक्रमों, जुलूसों, राजनीतिक दलों, विशेष व्यक्तियों एवं संगठनों से संबंधित सूचनाओं का सटीक संकलन, समयबद्ध रिपोर्टिंग तथा रिकॉर्ड एवं रजिस्टर के नियमित अध्यावधिकरण को प्राथमिकता दी जाए, जिससे किसी भी परिस्थिति में त्वरित एवं प्रभावी पुलिसिंग सुनिश्चित हो सके।

मॉनिटरिंग सेल- ऑपरेशन कनविक्शन के अंतर्गत थानों के पैरोकारों तथा थानाध्यक्षों से जघन्य एवं महिला संबंधी महत्वपूर्ण अभियोगों की अद्यतन सूची प्राप्त कर समयबद्ध पैरवी की कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। क्षेत्राधिकारी ने स्पष्ट किया कि अधिक से अधिक मामलों में दोषसिद्धि सुनिश्चित करना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। साथ ही टॉप-10 अभियोग कनविक्शन रजिस्टर को नियमित रूप से अद्यतन रखने व थाने स्तर पर सघन पैरवी की कार्यवाही कराने पर बल दिया गया।

महिला सहायता प्रकोष्ठ- महिला संबंधी अपराधों से जुड़े रजिस्टरों को केसवार एवं थानावार अद्यतन रखने के निर्देश दिए गए। साथ ही उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत संबंधित थानों से प्राप्त विवरण को तत्काल पोर्टल पर अपलोड करते हुए पीड़ितों को समयबद्ध सहायता उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया।